प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.07.2026

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल 01 सफेद धातु का बिस्किट, 01 पीली धातु का ठोस टुकडा व चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

दिनांक 28.05.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी के जेवर व कुछ नकद रुपये चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । घटना के अनावरण हेतु सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस, मैनुअल इनपुट की मदद से लगातार प्रयास किये गये ।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.07.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. मोनू सिंह पुत्र चन्द्रपाल निवासी सफेद गेट भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 2. शाहिल उर्फ चूसा पुत्र मो0 शाबीर निवासी सबापुर अण्डरपास के नीचे फुटपाथ पर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से संबंधित चोरी का माल 01 सफेद धातु का बिस्किट, 01 पीली धातु का ठोस टुकडा व चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी । चोरी की स्कूटी बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि करीब 30-35 दिन पहले बंथला गांव में एक घर से हम दोनों ने मिलकर चोरी की थी । उस सामान में से कुछ सामान हमने एक सुनार बन्टी वर्मा जिसकी दुकान लोनी तिराहे पर है, को बेचा था व कुछ सामान को हम उसी सुनार से गलवाकर अपने साथ ले आए थे । बेचे हुए सामान के पैसे हमने अपने शौक में खर्च कर दिए थे । आज हमें पैसे की जरूरत थी तो हम इस गलवाये हुए चोरी के सामान को लेकर बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.मोनू सिंह पुत्र चन्द्रपाल निवासी सफेद गेट भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

2.शाहिल उर्फ चूसा पुत्र मो0 शाबीर निवासी सबापुर अण्डरपास के नीचे फुटपाथ पर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता–

सुनार बंटी वर्मा पुत्र विजेंद्र वर्मा निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण -

उपरोक्त घटना से संबंधित चोरी का माल 01 सफेद धातु का बिस्किट, 01 पीली धातु का ठोस टुकडा व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी पर उक्त चोरी की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा चोरी की स्कूटी बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-02) ।** अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मोबाईल चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 12 मोबाईल व 520 रुपये बरामद।

आज दिनांक 02.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त विनोद पुत्र रनपाल निवासी ग्राम दोसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी के 12 मोबाईल बरामद हुये। उपरोक्त चोरी के मोबाईल बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हाइवे पर चलते फिरते हुए सडक किनारे सोये हुए लोगो के फोन व पैसे चोरी करता हूँ जो एप्पल व ओप्पो का फोन व पैसे आपने मेरी पेन्ट से पकडे है वह मेने कुछ दिन पहले हनुमान मन्दिर असालतनगर मुरादनगर के बाहर सोये हुए कावडियो से चोरी किये थे तथा ये पेसे भी मैने वही से चोरी किये थे जो फोन आपने मेरे बैग से बरामद किये है वह मैने चलते फिरते मोदीनगर व आसपास के क्षेत्र मे सडक किनारे सोये हुए लोगो से चोरी किये थे। मैं इन फोनो को चलते फिरते लोगो को सस्ते दामो पर बेच देता था किन्तु अधिक फोन होने के कारण में इन्हें बेचने के लिये किसी दुकानदार की तलाश काफी दिन से कर रहा था आज आपको आता देख में डरकर भागने लगा था लेकिन आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनोद पुत्र रनपाल निवासी ग्राम दोसा बंजारपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

विभिन्न स्थानों से चोरी किये गये 12 मोबाईल व 520 रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना सहित थाना मुरानदनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी बरामद।

दिनांक 29.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री शाकिर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राहुल पुत्र जयवीर मावी व उसके अज्ञात साथी द्वारा वादी के भाई मौ0 जैद उर्फ शारिक को मोटरसाइकिल व कार में टक्कर होने के उपरान्त वादी के भाई को अपने ऑफिस पर ले जाकर मारपीट करना जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त राहुल मावी उर्फ पहलवान पुत्र जयवीर मावी निवासी ग्राम टीला शाहबाजपुर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 140(3)/352/351(3) बीएनएस की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 02.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम सकलपुरा पोस्ट चिरोड़ी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी बरामद हुयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अनुज ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 29.06.2026 को वह अपने साथी राहुल मावी उर्फ पहलवान के साथ अपनी बलेनो कार से लोनी तिराहा से फल लेकर वापस आ रहा था तभी इन्द्रप्रस्थ गैस प्लांट चौराहा से बेहटा नहर की तरफ जैद (मृतक) द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से हमारी बलेनो कार में टक्कर मार दी थी जिस कारण हमने जैद व उसके अन्य दो साथियों को राहुल की ऑफिस पर ले गये और वहाँ पर हमने जैद से अपनी गाडी की क्षतिपूर्ति का खर्चा माँगा तो उसने खर्चा देने से मना कर दिया। जैद के मना करने पर हमने उसके साथ मारपीट कर दी। उसके बाद जैद के साथी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये। हमे बाद में जानकारी हुई कि जैद की मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम सकलपुरा पोस्ट चिरोड़ी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम व सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन द्वारा अवैध रुप से नशे का कारोबार करने वाली 01 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 225 ग्राम अल्प्राजोलम(नशीला पाउडर) व 10 गोली अल्प्राजोलम का पत्ता बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 02.07.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम व सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन द्वारा मुखबिर की सूचना व सर्विलांस इनपुट पर चैकिंग के दौरान अवैध रुप से नशे का कारोबार करने वाली 01 अभियुक्ता सना पत्नी समीर निवासी आसू इलेक्ट्रॉनिक वाली गली खोड़ा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 225 ग्राम अल्प्राजोलम(नशीला पाउडर) व 10 गोली अल्प्राजोलम का पत्ता बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ करने पर बताया कि मुझे एक महिला दिल्ली में मैट्रो स्टेशन पर जिनका मैं नाम पता नहीं जानती वह मुझे नशीले पाउडर का पैकेट दे जाती थी, जिन्हें मैं पुडिया बनाकर आने-जाने वाले राहगीरों को आर्थिक लाभ हेतु बेचती थी, प्राप्त पैसों से में अपने जरुरत पूरे करती हूँ आज भी मैं यह नशीला पाउडर व गोली खरीदकर अपने घर ला रही थी कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

- सना पत्नी समीर निवासी आसू इलेक्ट्रानिक वाली गली खोड़ा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- 225 ग्राम अल्प्राजोलम(नशीला पाउडर) व 10 गोली अल्प्राजोलम का पत्ता।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोडा में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम व सर्विलांस टीम ट्रांसहिण्डन ।

थाना साहिबाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 RRU (रेडियो रिसीवर युनिट) एवं चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 01/02.07.2026 की रात्रि को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर अभियुक्त 1.शहबाज खान पुत्र मो0 जमील नि0 अरशद का मकान ,टेलीफोन एक्सचेन्ज रोज शहीदनगर मूल निवासी ग्राम रामपुर थाना मुजरिया जिला बदायुं उम्र करीब 20 वर्ष 2. आसिफ हुसैन उर्फ आशु पुत्र हुसैन अहमद निवासी इदरिश का मकान जयपाल चौक के पास शहीदनगर साहिबाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को लोहिया पार्क के गेट के पास बैटमिंटन कोर्ट के सामने से चोरी की 01 मोटरसाईकिल व 02 RRU (रेडियो रिसीवर युनिट) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तों शहबाज खान व आसिफ हुसैन उर्फ आशु से कडाई से पूछने पर दोनों ने एक सुर मे बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल हम दोनो ने मिलकर करीब एक साल पहले दिल्ली की एक पार्किंग से चुरायी थी हम दोनो मिलकर इस मोटर साइकिल से मोबाईल टाबरो में चोरी करते है,यह दोनो आर आर यु (रेडियो रिसीवर यूनिट) हमने मिलकर सीमापुरी बार्डर दिल्ली पर कब्रिस्तान के पास लगे मोबाईल टाबर से करीब तीन दिन पहले रात में चुरायी थीं जिनको आज हम दोनो बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :-

1. शहबाज खान पुत्र मो0 जमील नि0 अरशद का मकान ,टेलीफोन एक्सचेन्ज रोज शहीदनगर मूल निवासी ग्राम रामपुर थाना मुजरिया जिला बदायुं उम्र करीब 20 वर्ष।
2. आसिफ हुसैन उर्फ आशु पुत्र हुसैन अहमद निवासी इदरिश का मकान जयपाल चौक के पास शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 02 RRU (रेडियो रिसीवर युनिट) एवं चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त शहबाज खानः-

- अभियुक्त शहबाज के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त आसिफ हुसैन उर्फ आशुः-

- अभियुक्त शहबाज के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के निर्देशन में थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में भारी पुलिस बल का फ्लैग मार्च, मिश्रित आबादी व संवेदनशील इलाकों पर रखी गई कड़ी नजर।

आज दिनांक 02.07.2026 को क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज पुलिस उपायुक्त ग्रामीण (DCP) **श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी** के कुशल निर्देशन में भारी पुलिस बल द्वारा वृहद पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया गया।

यह अभियान विशेष रूप से **आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों** को ध्यान में रखकर चलाया गया, जहाँ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये।

फ्लैग मार्च में शामिल मुख्य अधिकारी:

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए इस फ्लैग मार्च में निम्नलिखित अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे:

- सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार
- थाना प्रभारी, लोनी बॉर्डर
- थाना प्रभारी, लोनी
- थाना प्रभारी, अंकुर विहार
- थाना प्रभारी, ट्रोनिका सिटी
- थाना प्रभारी, भोजपुर
- थाना प्रभारी, निवाड़ी

फ्लैग मार्च के मुख्य बिंदु और उद्देश्य:

- **मिश्रित व संवेदनशील इलाकों पर ध्यान:** अभियान के दौरान मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में **कड़ी नजर रखी गई** ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
- **सुरक्षा का भाव पैदा करना:** इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आम जनता, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के मन में **सुरक्षा का भाव पैदा करना** और उपद्रवी तत्वों में कानून का डर बनाना है।
- **जनता से संवाद:** अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर है।

इस फ्लैग मार्च में उच्चाधिकारीगण के साथ करीब 300 पुलिस कर्मी, क्यूआरटी व पीएसी बल मौजूद रहा।

:: DME पर प्रतिबंधित वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान::-

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने, जानलेवा दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने और आमजन के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कुशल निर्देशन में आज दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (**DME**) पर प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ एक बड़ा और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व **अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात)** द्वारा किया गया। अभियान के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) के साथ यातायात निरीक्षक (प्रथम), प्रभारी (**ITMS**), उप-निरीक्षक (**ITMS**), उप-निरीक्षक (यातायात) तथा यातायात पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। एक्सप्रेसवे पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले दो-पहिया, तीन-पहिया वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के खिलाफ मौके पर ही कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

- **12 मोटरसाइकिलें सीज:** एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध के बावजूद सफर कर रही **12 मोटरसाइकिलों को मौके पर ही सीज** कर दिया गया।
- **भारी चालान:** यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य दर्जनों वाहनों के चालान किये गए।

सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त महोदय का संदेश

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर बनाना है। अधिकारियों ने वाहन चालकों को समझाया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे एक हाई-स्पीड कॉरिडोर है। यहाँ दो-पहिया, तीन-पहिया या ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे धीमी गति के वाहनों के आने से भीषण दुर्घटनाएं होने का खतरा हमेशा बना रहता है। **"सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन"** के इस मिशन के तहत पुलिस ऐसे जानलेवा उल्लंघनों को रोकने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

यातायात पुलिस की विनम्र अपील:

गाजियाबाद यातायात पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि पुलिस आयुक्त के आदेशों का सम्मान करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहन लेकर बिल्कुल न चढ़ें और केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। याद रखें, नियमों का पालन करके ही आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।